

1	2	3	4
1972-73	7.55	1.77	145829
1973-74	7.72	2.42	189582
1974-75	5.13	3.16	195843
1975-76	2.91	5.96	341673
1976-77	3.23	10.83	461699
1977-78	3.75	15.16	700946
1978-79	5.83	19.24	852926
1979-80	4.35	24.78	931850
1980-81	4.69	23.19	822293
1981-82	17.30	20.73	711020
1982-83	11.54	20.17	690326
1983 84*	12.65	—	—

*Information upto January, 1984.

**Performance of ICAR Cattle Project,
Maharashtra**

395. SHRI B.D. SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether DDG(AS) had visited ICAR Cattle Project Maharashtra since 1980 and in February 1984 and given report on suitability of senior scientist incharge as also on Centre's performance ; if so, the full details on each inclusive of workshop findings, of ICAR officials attending it and their contributions at workshop or later ; and

(b) the action Government propose if performance was found unsatisfactory at cattle project in Maharashtra ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Yes, Sir. The All India Coordinated Research Project

on Cattle Rahuri was visited by the present DDG (AS) in May, 1982 and February, 1984 when he had discussed the performance of the Project with the Vice-Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vishvavidyalaya, Rahuri and the staff of the Project. The performance of the unit in terms of implementation of the technical programme was found quite satisfactory. During such visits it is not possible for the DDG (AS) to go through the qualification of each of the staff employed in the Project. It is for the University to employ suitable well qualified and experienced staff in light of the recommendations made by the Council at the time of approval of the project.

The Sixth workshop on All India Coordinated Research Project on Cattle held between 28th to 30th August, 1983 at Hissar was attended by Deputy Director General (Animal Sciences) on 28th and 30th and Scientist (Agricultural Statistics) on all the days. ADG (AP and B) who services the

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1981-82	M	1	3	51	67	44	41	—	—	—	21	9	7	—	1	—	—	—
	D	1	2	12	4	4	6	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—
	Y	—	—	4	21	28	40	33	—	—	72	46	42	17	7	7	1	4
	T	2	5	67	92	76	87	33	—	—	96	56	51	17	8	7	1	4
1982-83	M	2	3	42	45	34	40	7	—	—	30	10	10	—	1	—	—	—
	D	—	1	8	4	8	4	—	—	—	8	1	4	—	1	—	—	—
	Y	—	—	4	12	14	23	43	3	3	67	52	46	28	8	13	2	9
	T	2	4	54	61	56	67	50	3	3	105	63	60	28	10	13	2	9
1983-84 as on 31.12.83	T	2	—	48	51	44	56	68	—	—	118	67	63	39	17	14	—	4

M=Number of cows in milk

D=Number of cows dry

Y=Number of Young stock

T=Total number of females

project at the I.C.A.R. Head Quarters could not attend. The ICAR headquarter staff is expected to provide guidance and steer the proceeding in a manner that workshop fulfills its achievement audit role. It is also to see that the implementation of the recommendations made earlier are properly reviewed by the workshop. The same was done at this workshop.

(b) In view of the reply at (a) above, the question does not arise.

कुछ प्रतिबंधित वनस्पति निर्माताओं को आयातित खाद्य तेल की सप्लाई

396. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वनस्पति के ऐसे अग्रणी निर्माताओं को जिनके विरुद्ध वनस्पति में मिलावट करने के आरोपों की जांच की जा रही है और इसी आधार पर उन्हें खाने के तेल की सप्लाई प्रतिबन्धित की हुई है; आयातित खाद्य तेलों का न केवल जनवरी बल्कि पिछले महीनों का और यदि कोई बकाया कोटा हो तो वह भी तुरन्त सप्लाई करने के लिए मुख्य व्यापार प्रबंधक, राज्य व्यापार निगम, जनपथ नई दिल्ली को निर्देश दिए हैं; और

(ख) उक्त भात कम्पनियों का बगौरा क्या है तथा उन्हें किन कारणों से और किस आधार पर खाने के तेलों की सप्लाई पुनः शुरू की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात ने कुछ फर्मों के संबंध में, उनके द्वारा आयात में कथित अनियमितताएं बरतने के कारण स्थगन परिपत्र जारी किए थे। एनिहात के रूप में, कुछ एककों के आयातित तेलों के आवंटन को भी, मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात से स्थगन परिपत्र में उल्लिखित फर्मों से उनके संबंधों के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक के लिए आस्थगित रखा गया था।

तथापि, मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात से यह स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर कि स्थगन परिपत्र केवल उन्ही फर्मों के लिए लागू होगा, जिनके नाम उनमें विशिष्ट रूप से दिए गए हैं, निम्नलिखित पार्टियों को आवंटन निर्मुक्त कर दिया गया :—

1. वेजिटेबल आयल्स लि० बम्बई ।
2. इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लि०, बम्बई ।
3. ओगवाल वनस्पति एलाइड इण्डस्ट्रीज, लुधियाना ।
4. किशन चंद एण्ड कम्पनी आयल इण्डस्ट्रीज लि०, लुधियाना ।
5. मानमिंगका इण्डस्ट्रीज लि०, पचौड़ा ।
6. मानमिंगका आयल इण्डस्ट्रीम, खंडवा ।
7. राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स लि०, भीलवाड़ा ।

यमुनापार क्षेत्र में अनधिकृत बस्तियों का सर्वेक्षण

397. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार क्षेत्र में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने के संबंध में 1978-79 में सर्वेक्षण करने के बाद 1980 से 1983-84 के वर्षों के दौरान इस प्रकार के कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है जबकि इस अवधि के दौरान दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या यमुनापार क्षेत्रों में भी अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और